

श्री ५६ जे. प्रो. सिमडेगा  
५६ J Pro  
५६ जे. प्रो. सिमडेगा

23 I A with the permission  
by L.R.D.C. Simdega  
Kwds case no. 377/2016-17  
order dated  
25-11-16

~~अधिका~~



John Ekka  
3-3-2017

§ 18 लेख्यकारी :- श्री जोन एक्का पिता एच० लुक्स एक्का,  
जाति- उराँव, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- गोतरा  
डिप्टीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।  
आधार कार्ड संख्या 6123 3173 0755

..... बिक्रेता ।

समथ-पत्र संख्या :- 55/2017

पुनर्युक्त मूल माली इतिहास पत्र  
से मिलीले दिनांक १६/११/१७  
H. Res. स. व. व. दिनांक १६/११/१७  
f.p. V. Khanna  
03/03/17

Md. Nasirullah Khan  
S/o Late. Sabirullah Khan  
Vill. Kharan Toli Man Road Simdega  
PSA Dist. Simdega  
3/3/17



§ 2§ लेख्यधारिणी :- श्रीमती मुक्ता केरकेटा पति श्री तेज कुमार केरकेटा, जाति- छडिया, पेशा- गृहिणी. निवास ग्राम-बेलगढ़, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

आधार कार्ड संख्या 3252 1015 8148

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

समथ-पत्र संख्या :-

56/2017

§ 3§ लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला पैसा क्लामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§ 4§ मूल्य :- मोबलिंग चार लाख अस्सी हजार रुपये अर्थात् 4,80,000/- रुपये होता है ।

§ 5§ सम्मति :- सराजियात अन्दर मौजा- गौतरा डिप्टीटोली, वार्ड नं० 5, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस जो जिला- सिमडेगा के खाना नं० 50 पचास प्लॉट नं० 5138 एक एक सौ अड़तीस एकड़ 0.37 एकड़ में से 0.12 एकड़ बारह डिसमिल आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है एवं अन्य सड़क पर अवस्थित है ।

जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- इसी प्लॉट में जोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता,

दक्षिण :- प्लॉट नं० 5147,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश नीज,

पश्चिम :- इसी प्लॉट का अंश नीज ।

मालगुजारी 2 पैसा दो पैसा अलावे सेस सलाना ।

John Eka  
2-3-2017

Taj Kumar Kirkehta

Son of Silbanas Kirkehta

R/O - Belgarh P.S. - Simdega

Dt. - Simdega

03/03/2017

§ 18 चूंकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू उद्योगों के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

§ 28 इसलिये मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पांच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§ 38 मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन मेरे पिता स्व० लुकस रक्का की खरीदगी जमीन है जिसे उन्होंने निबंधित केवाला संख्या 325 दिनांक 20.6.1946 के द्वारा खरीदे हैं, जिसका बुक नं० 1, भोल्युम नं० 2, पेज नं० 447 से 449 तक है । हमलोगों के बीच जमीन का आपसी भैयादी बँटवारा होकर उत्तराधिकारी दाखिल खारिज मेरे नाम से हुआ है जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या 428 आर 27/14-15 है तथा मालगुजारी रसीद मेरे नाम से कटता है जो पंजी II के भोल्युम संख्या XIII पेज नं० 21 में दर्ज है । उक्त जमीन पर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । खतियान के अनुसार उक्त जमीन का समी है तथा लगान

John Ekka  
3-3-2017

पानेवाले का नाम मैनेजर इन्कम्बर्ड इशटे मीन जानीब टीकैत

श्रीरी निवास हुकुम सिंह देव दर्ज है। रखतियान

रैयत जगतु उरॉव ११०० है।

John Ekka

3-3-17

§4§ चूंकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं

अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता

भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी

अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद

संख्या 377/2016-17 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 25.11.2016 को

प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 1064/11 दिनांक 25.11.2016 है।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविल वो

दखलदार होकर अपना जैसा समायदा का समझें अपने उपयोग में लावें

वो झारखण्ड सरकार, वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय

से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय

मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला केना क्लामी सदा दिन के

लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-दबंदी, कैसरे हिन्द,


खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मज्बूआ के

तहत नहीं है।

John Ekka  
John Ekka

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन 'सिलिंग' के अन्तर्गत नहीं आता है।

John Ekka  
3-3-2017



John Ekka  
3.3.2017

प्रमाणित किया जाता है कि मैं जो जमीन विक्रीत  
के अर्थ में वास्तु धारक के अंगुलियों  
का निशान देते आता हूँ।

Prakash Arora  
3.3.2017

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन श्री  
खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन 'सिलिंग' के अन्तर्गत नहीं आता है।

Mukta Prakash  
3-3-2017




प्रमाणित किया जाता है कि मुझी अंगुलियों  
के अर्थ में वास्तु धारक के अंगुलियों का निशान  
देते आता हूँ।

Prakash Arora  
3.3.2017

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/-

  
3.3.2017

॥ प्रारूपकर्त्ता ॥

तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो छण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसुद  
3-3-2017

मो० मकसुद  
कचहरी परिसर,  
सिमडेगा ।

संलग्नक:-

1. बिक्रेता, क्रेता एवं पहचानकर्त्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. शेड्यूल का मूल प्रति,
3. आदेश एवं अंश रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
4. छतियान का सत्यापित प्रति,
5. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
6. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति एवं सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
7. फार्म संख्या 1 का मूल प्रति,

John Ekka  
3-3-2017